Kentucky WIC और WIC किसान बाजार कार्यक्रम
अधिकार एवं उत्तरदायित्व

मदद चाहिए? यदि आपको अंग्रेजी समझने या पढ़ने में कठिनाई होती है या आप असमर्थ हैं, तो अनुरोध पर मुफ्त भाषा सहायता या अन्य सहायता और सेवाएं उपलब्ध हैं।

मेरे अधिकार:

WIC खाद्य पदार्थ: अगर मैं/मेरा बच्चा WIC के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं, तो मुझे किराने की दुकान पर स्वस्थ खाद्य पदार्थ खरीदने के लिए एक eWIC कार्ड मिलेगा। स्वस्थ WIC खाद्य पदार्थ मुझे/अपने बच्चे को स्वस्थ आहार खाने में मदद करेंगे, लेकिन वे सभी खाद्य पदार्थ प्रदान नहीं करेंगे जिनकी मुझे/मेरे बच्चे को हर महीने जरूरत होती है। मुझे अपने WIC खाद्य पैकेज और खरीदारी करने के स्थान के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी।

पोषण संबंधी शिक्षा और स्तनपान सहायता: मुझे रुचिकर पोषण संबंधी विषयों के बारे में जानकारी मिलेगी। WIC स्तनपान में मेरी मदद करेगा।

स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सूचना और रेफरल: WIC टीकाकरण, डॉक्टर की खोज करने, और अन्य सेवाओं के बारे में जानकारी साझा करेगा जिनकी मुझे आवश्यकता हो सकती है या जिनमें मेरी रुचि हो सकती है।

सामान्य शिष्टाचार: WIC और स्टोर स्टाफ मेरे साथ शिष्टाचार और सम्मान के साथ उचित व समान व्यवहार करेंगे, बदले में मैं WIC कार्यक्रम और स्टोर स्टाफ के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करूंगा। अगर मुझे अपने WIC खरीदारी से संबंधित कोई समस्या है, तो मैं अपने WIC कार्यालय या राज्य WIC विक्रेता प्रबंधन कार्यालय से 1-877-597-0367 पर संपर्क करूँगा।

WIC स्थानांतरण जानकारी: मैं Kentucky से बाहर दूसरे WIC कार्यालय में स्थानांतरण कर सकता हूं। मैं अपने WIC स्टाफ से स्थानांतरण की जानकारी मांग सकता हूँ ताकि इसे नए WIC कार्यालय को प्रदान कर सकूं। (प्रमाणन के सत्यापन को VOC भी कहा जाता है)।

निष्पक्ष व्यवहार/शिकायत दर्ज करने का अधिकार: WIC कार्यक्रम में योग्यता और भागीदारी के मानक नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग, अक्षमता, या आयु चाहे जो हो, यह सभी के लिए समान हैं। अगर मुझे लगता है कि WIC के कर्मचारियों या स्टोर के कर्मचारियों द्वारा मेरे साथ गलत व्यवहार किया गया है तो मुझे शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

निष्पक्ष सुनवाई: यदि मैं अपनी WIC योग्यता के बारे में किसी निर्णय से असहमत हूँ, तो मैं निष्पक्ष सुनवाई की मांग कर सकता हूँ। निष्पक्ष सुनवाई प्रक्रियाएं मेरे WIC कार्यालय में पोस्ट की गई हैं।

निःशुल्क संप्रेषण सहायता: मैं समझता हूँ कि यदि मुझे अंग्रेज़ी समझने या पढ़ने में कठिनाई होती है या कोई असमर्थतता है; नि:शुल्क भाषा सहायता या अन्य मदद और सेवाएं अनुरोध किए जाने पर उपलब्ध हैं।

गोपनीयता: मेरी जानकारी गोपनीय है। मैं समझता हूं कि मेरे बच्चे के WIC डेटा को दूसरे Kentucky सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग कार्यक्रम साथ साझा किया जा सकता है जैसे कि टीकाकरण । यदि WIC कार्यक्रम के दुरुपयोग के लिए मेरी जांच-पड़ताल की जाती है, तो मेरी जानकारी साझा की जा सकती है।

प्रतिनिधि: मैं जानता हूं कि मैं WIC सेवाओं के लिए अपनी ओर से कार्य करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता हूं। सभी प्रतिनिधियों को इन अधिकारों और उत्तरदायित्वों का पालन करना चाहिए।

मेरे उत्तरदायित्व:

सही जानकारी प्रदान करें:

- CH-5 पंजीकरण, प्राधिकरण, प्रमाणन और सहमति फॉर्म पर हस्ताक्षर करके, मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि अपने WIC योग्यता निर्धारण के लिए मैं जो जानकारी प्रदान करता हूं वह मेरे ज्ञान में सत्य है। इसमें पहचान, गर्भावस्था की स्थिति, पता, परिवार का आकार, घरेलू आय और मेडिकैड के लिए योग्यता, SNAP (पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम), TANF (जरूरतमंद परिवारों को अस्थायी सहायता) शामिल हैं।
- अगर मेरी पारिवारिक आय, पता या फ़ोन नंबर बदलते हैं तो मैं WIC स्टाफ को इस बारे में सूचित करूँगा।

WIC कार्यक्रम में भागीदारी:

- यदि मैं लगातार दो महीनों तक अपने/मेरे बच्चे के खाद्य पदार्थ लाभ में भाग नहीं लेता (मेरे अपॉइंटमेंट या अनुरोध को प्राप्त करना/बनाए रखना) तो मुझे/मेरे बच्चे को WIC कार्यक्रम से हटा दिया जाएगा। अगर मेरी प्रमाणन अवधि में योग्यता बची है या इसे फिर से प्रमाणित किया जाना है, तो मैं इसे फिर से बहाल करने के लिए अपने WIC कार्यालय से संपर्क कर सकता हूं।
- यदि मुझे मेरे/मेरे बच्चे के खाद्य पदार्थ लाभ देर से प्राप्त होते हैं, तो मुझे उस महीने के लिए सभी खाद्य पदार्थ लाभ प्राप्त नहीं हो सकते हैं, मेरे/मेरे बच्चे के लाभ चक्र में शेष दिनों की संख्या के आधार पर खाद्य पदार्थ लाभ कम हो सकते हैं।

eWIC कार्ड:

- अपने eWIC कार्ड को सुरक्षित रखना और अपने PIN की गोपनीयता बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। (अपना कार्ड या PIN केवल उन लोगों के साथ साझा करें जिनकी आपने प्रतिनिधि के रूप में पहचान की है)

यदि मेरा eWIC कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो मुझे सहायता के लिए WIC कार्यालय को फ़ोन करना चाहिए।

WIC दुर्व्यवहार:

- यदि मैं WIC प्राप्त करने के लिए तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करता हूँ, छुपाता हूँ, या तथ्यों को दबाकर रखता हूँ, तो मुझे प्राप्त खाद्य पदार्थ का मूल्य चुकाने के लिए कहा जा सकता है और मुझे WIC कार्यक्रम से हटा दिया जा सकता है।
- अशांतिपूर्ण व्यवहार, दुर्व्यवहार की धमकी देना, या किसी भी कर्मचारी और विक्रेता या किसान के बाजार कर्मियों के साथ शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करना WIC कार्यक्रम के नियमों का उल्लंघन है और इसके परिणामस्वरूप कार्यक्रम से आपको अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- मैं जानता हूं कि निम्नलिखित उल्लंघनों के परिणामस्वरूप मुझे कार्यक्रम से अयोग्य ठहराया जा सकता है और मुझे जारी किए गए खाद्य लाभों का पुनर्भुगतान करने कहा जा सकता है, और मुझ पर राज्य और संघीय कानून के तहत दीवानी या आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है:

- नकद, क्रेडिट या गैर-WIC खाद्य पदार्थों के लिए पूरक खाद्य पदार्थों का आदान-प्रदान करना
- गैर-WIC खाद्य पदार्थ या अनधिकृत खाद्य पदार्थ खरीदना;
- मुझे जो जारी किया गया था उससे अतिरिक्त पूरक खाद्य पदार्थ खरीदना; और
- मेरे WIC खाद्य पदार्थ या WIC लाभ को बेचना या बेचने की पेशकश करना, या WIC द्वारा जारी ब्रेस्ट पंप, या तो मौखिक रूप से, प्रिंट में, या ऑनलाइन या किसी और को ऐसा करने की अनुमति देना।
- एक ही समय में एक से अधिक WIC प्रोग्राम और/या कमोडिटी स्पेशल फूड प्रोग्राम (CSFP) में भाग लेना।

- अगर मैं किसी को अपना eWIC कार्ड और PIN देता हूं और वे मेरे खाद्य पदार्थों के लाभ का दुरुपयोग करते हैं, तो खाद्य पदार्थों को बदला नहीं जाएगा।

Kentucky WIC प्रोग्राम एक समान अवसर प्रदाता है। नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज करने के बारे में जानकारी के लिए कृपया नीचे देखें।

Kentucky WIC प्रोग्राम एक समान अवसर प्रदाता है। नागरिक अधिकार शिकायत दर्ज करने के बारे में जानकारी के लिए कृपया नीचे देखें।

संघीय नागरिक अधिकार कानून और U.S. कृषि विभाग (USDA) नागरिक अधिकार नियम और नीति, इस संस्था को नस्ल, रंग, राष्ट्रीय मूल, लिंग (लिंग पहचान और यौन उन्मुखीकरण सहित), विकलांगता, आयु, या बदला या पूर्व के नागरिक अधिकारों की गतिविधि के लिए प्रतिशोध से प्रतिबंधित किया गया है।

कार्यक्रम की जानकारी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में उपलब्ध कराई जा सकती है। दिव्यांग व्यक्ति जिन्हें कार्यक्रम की जानकारी प्राप्त करने के लिए संचार के वैकल्पिक साधनों की आवश्यकता होती है (जैसे, ब्रेल, बड़े प्रिंट, ऑडियोटेप, अमेरिकी सांकेतिक भाषा), उन्हें उत्तरदायी राज्य या स्थानीय एजेंसी से संपर्क करना चाहिए जो कार्यक्रम का संचालन करती है या USDA के TARGET केंद्र (202) 720- 2600 (वॉयस और TTY) या संघीय रिले सेवा के माध्यम से (800) 877-8339 पर USDA से संपर्क करना होगा।

कार्यक्रम में भेदभाव संबंधी शिकायत दर्ज करने के लिए, शिकायतकर्ता को फॉर्म AD-3027, USDA कार्यक्रम संबंधी भेदभाव शिकायत फॉर्म भरना होगा, जिसे ऑनलाइन यहां से प्राप्त किया जा सकता है: https://www.usda.gov/sites/default/files/documents/USDA-OASCR%20P-Complaint-Form-0508-0002-508-11-28-17Fax2Mail.pdf, किसी भी USDA कार्यालय से, (866) 632-9992 पर कॉल करके, या USDA को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखकर भी प्राप्त किया जा सकता है। पत्र में शिकायतकर्ता का नाम, पता, टेलीफ़ोन नंबर, और कथित भेदभावपूर्ण कार्रवाई का लिखित विवरण होना चाहिए ताकि नागरिक अधिकार के लिए सहायक सचिव (ASCR) को कथित नागरिक अधिकारों के उल्लंघन की प्रकृति और इसकी तारीख के बारे में सूचित किया जा सके। पूरा किया गया AD-3027 फॉर्म या पत्र USDA को निम्न द्वारा सबमिट किया जाना चाहिए:

1. **मेल:**
   U.S. कृषि विभाग
   नागरिक अधिकारों के लिए सहायक सचिव का कार्यालय
   1400 Independence Avenue, SW
   Washington, D.C. 20250-9410; या
2. **फ़ैक्स:**
   (833) 256-1665 या (202) 690-7442; या
3. **इमेल:**
   program.intake@usda.gov

यह संस्थान समान अवसर प्रदान करता है।